



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250001 (उत्तर प्रदेश)

वेबसाइट: www.mdameerut.org.in



श्री अखिलेश यादव जी
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी आवासीय योजना के
अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की
शताब्दीनगर आवासीय योजना
के सेक्टर - 4 में

स्टील्ट+10 मंजिले फ्लैट्स की योजना
स्व: वित्त पोषित योजनान्तर्गत
की पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण तिथि:

04-04-2015 से
05-05-2015 तक





मेरठ विकास प्राधिकरण



विशेष आकर्षण-

- ☑ राष्ट्रीय राज्य मार्ग-58 के समीप स्थित ।
- ☑ स्टील्ट में प्रत्येक भवन के लिये कवर्ड कार पार्किंग ।
- ☑ योजना का लाभ दिनांक 04.04.2015 से 05.05.2015 तक ।
- ☑ आवंटन प्रक्रिया का अत्यन्त सरलीकरण ।

स्थल सुविधायें-

- ☑ सड़क, सीवर , ड्रेनेज, विद्युत एवं जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त ।
- ☑ पेड़-पौधों से सुसज्जित हरियाली की सुविधायुक्त ।
- ☑ सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण युक्त ।





मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ - 250003 (उ.प्र.)

उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी योजना के अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की
शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर 4 में स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत
स्टिल्ट+10 मंजिले फ्लैट्स की योजना की पंजीकरण पुस्तिका

1. **योजना का नाम**— समाजवादी योजना (सेक्टर-4, शताब्दीनगर)

2. **योजना का कोड**— 15

3. **सेक्टर कोड**— 83

4.00 **प्राह्यता (पात्रता)**—

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यवस्क अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

4.30 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवस्यक बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इन्फ्रामेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिये।

4.40 जिन व्यक्तियों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा।

4.50 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक

सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

5.00 **आवेदन कैसे करें—**

5.10 आवेदन—पत्र केवल निर्धारित प्रारूप—पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व रुपये 10/- का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित व समाज के विकलांग) के आवेदकों को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक, अथवा पे—आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी। पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.org.in से प्राप्त की गयी विवरण पुस्तिका व पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को, पंजीकरण आवेदन पत्र उपयोग में लाने पर रुपये 500/- प्रति विवरण पुस्तिका व निर्धारित पंजीकरण धनराशि एच0डी0एफ0सी0 बैंक की विज्ञापित शाखाओं में पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी।

5.20 आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।

5.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति—पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी। पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्न एक में उल्लिखित है। आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिकाएं रुपये 500/- के भुगतान पर एच0डी0एफ0सी0 बैंक (1)



मेरठ विकास प्राधिकरण



171/1, सूर्याश प्लाजा, गढ़ रोड, मेरठ मो0 नं0 09358214343 (2) 381ए वैस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ (3) शील पैलेस दिल्ली रोड, मेरठ (4) 6, रॉयल प्लाजा, रुडकी रोड, पल्लवपुरम, मेरठ (5) जी0 एफ0 'ओ' एण्ड 'एच' नई दिल्ली-11, डी0सी0एम0 बिल्डिंग बारहा खम्बा रोड नई दिल्ली-110001 (6) डी-118, सेक्टर 26, नोएडा (7) आर0डी0सी0 सेक्टर, राजनगर, गाजियाबाद-201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्द शहर, हापुड, मोदीनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, बागपत शामिल व बड़ौत की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जायेगी जिनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक, मेरठ श्री भूमेश कुमार, मो0 नं0 09358214343 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि सहित उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायेंगे।

6.00 आवंटन प्रक्रिया-

- 6.10 योजना के ज्ञा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैनुअल प्रक्रिया द्वारा ज्ञा निकालकर प्लेट का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी प्लेट विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी पद्धति से आरक्षण के आधार पर किया जायेगा।
- 6.20 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तर दायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।
- 6.30 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जप्त कर ली जायेगी।
- 6.40 प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लेट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख आवंटि द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- 6.50 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 6.60 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ज्ञा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की मांग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।
- 6.70 आवंटि को प्लेट के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटि द्वारा प्लेट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
- 6.80 प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्राधिकरण प्लेट देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित प्लेट नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7.00 आरक्षण कोटा-

शासन द्वारा वर्तमान में आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र0सं.	वर्ग	प्रतिशत	कोड
1.	अनुसूचित जाति	21	02
2.	अनुसूचित जन जाति	02	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
4.	विधायक,	05	
	विधान परिषद सदस्य, सांसद		08
	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी		07
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	05	
	रक्षा कर्मी		05
	सरकारी कर्मी		06
6.	उ0प्र0 आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02	
	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी		09
	उ0प्र0 नगर निगम कर्मचारी		11
	उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी		12
	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद		13
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03	14

- 7.10 विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 3 प्रतिशत विकलांग श्रेणी के भवन/प्लैट्स के लॉटरी ज्ञा में सर्व प्रथम 01 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार दृष्टिबाधित ;टपेनससल पंचपतमकद्ध आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। यदि विकलांग कोटे में एक मात्र एक ही भवन/प्लैट आता है तो वह प्राथमिकता पर दृष्टिबाधित आवेदक को यथावश्यकता लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा विरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटा भरना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के आवेदक कोटा कोड 15 मरे।



7.20 यदि आवेदक एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आता है तो कृपया वह स्वयम् निश्चित कर लें कि कौन सी एक आरक्षण श्रेणी का लाभ पाना चाहते हैं, उस आरक्षण श्रेणी का ही उल्लेख करें। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदक समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो आवंटन समान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

7.30 आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8 भुगतान प्रक्रिया—

फ्लैट्स की श्रेणीवार उपलब्धता, अनुमानित मूल्य, आवेदन राशि का विवरण पुस्तिका में संलग्न तालिका में दिया गया है। फ्लैट्स का आवंटन स्वः वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत लाटरी पद्धति से किया जायेगा। किशतों का विकल्प देने वाले आवेदकों को आवंटन के पश्चात् आवंटन धनराशि के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि, आवंटन पत्र जारी दिनांक से एक माह के अन्दर तथा शेष धनराशि विवरण तालिका के अनुसार जमा करनी होगी। किशतों का विकल्प देने वाले आवेदकों को स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बिना व्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किशतों में भुगतान करना होगा।

8.10 भुगतान विधि तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार। निर्धारित तिथि तक वांछित आवंटन धनराशि अदा न करने की दशा में निर्धारित एक माह की अवधि के बाद विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड व्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड व्याज के साथ अदा न करने पर / 2 या 2 से अधिक किशतें डिफाल्ट करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.20 फ्लैट्स का मूल्य अनुमानित है। फ्लैट पूर्ण होने पर वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। फ्लैट के वार्षिक मूल्यांकन के उपरान्त अन्तिम मूल्य से आवंटनी को अवगत कराया जायेगा।

8.30 लिफ्ट कर प्राविधान होने के कारण सभी तलों पर फ्लैट्स का मूल्य एक समान रखा गया है।

8.40 प्राप्त पंजीकरण आवेदन पत्रों के सापेक्ष विज्ञापित श्रेणीवार सभी तलों के फ्लैटों का लाटरी ड्रा किया जायेगा। लाटरी ड्रा के माध्यम से घोषित परिणाम के अन्तर्गत फ्लैट जिस तल का भी होगा, प्रत्येक फ्लैट व उसका तल व मूल्य दर्शाते हुए आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे जो तदनुसार देय होगी तथा आवेदकों को स्वीकार होगा।

8.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

9.00 पैनाल ब्याज—

यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया

जाता है तो विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड व्याज देय होगा। फ्लैट के किशतें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम 2 किशतों की अदायगी समय से अदा न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10.00 कब्जा—

10.10 आवंटनी को फ्लैट के निर्माण एवं उसके सम्मुख समुचित विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार फ्लैट में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, फ्लैट्स मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी सीवर मद में देय धनराशि व देय दस्तावेजा शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर आवंटनी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख निबन्धित कराये जाने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। विलेख एवं निबन्धन का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटनी) को वहन करना होगा।

10.20 आवंटनी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।

10.30 आवंटनी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर लेगा।

10.40 यदि आवंटनी द्वारा विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लेता है तो आवंटनी को 500 /— प्रति माह चौकीदारा शुल्क देना होगा।

11.00 निबन्धन प्रक्रिया—

आवंटनी को फ्लैट्स के निर्माण एवं उसके सम्मुख समुचित विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार फ्लैट में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, फ्लैट मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी सीवर मद में देय धनराशि व देय दस्तावेजा शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर आवंटनी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख निबन्धित किया जायेगा। विलेख एवं निबन्धन का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटनी) को वहन करना होगा।

12. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी—

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा—

(अ) लाटरी आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।



मेरठ विकास प्राधिकरण



(ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 10 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(द) आवंटन के पश्चात् यदि फ्लैट का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ फ्लैट के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो भी तिथि पहली होगी तक देय किश्तों में से टूटती किश्तों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

13. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया—

फ्लैट के निरस्तीकरण उपरान्त यदि आवेदक फ्लैट का आवंटन पुनर्जिवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अन्दर कराना चाहे तो फ्लैट के आवंटन की बहाली के समय योजना में लागू वर्तमान मूल्य पर फ्लैट बहाल किया जा सकेगा।

14.00 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना—

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ फ्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

15.00 अन्य सूचनायें/शर्तें—

15.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

15.20 यदि प्राधिकरण की योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-28 ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में योजना के आवंटित फ्लैटस् में निहित भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटि द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में आवंटि से वसूल की जायेगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

15.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन

किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत-प्रतिशत जब्त करते हुए फ्लैट के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

15.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

15.50 तालिका में उल्लिखित फ्लैटस् के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपा नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

15.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

15.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

15.80 इस योजना में फ्लैटस् की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।

15.90 परिसर का रख-रखाव दो वर्ष तक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। दो वर्ष की अवधि के पश्चात् आवंटियों द्वारा नियमानुसार रेजीडेंस वेलफेयर सोसाईटी का गठन करने हुए उनके द्वारा रख-रखाव किया जायेगा। प्रत्येक आवंटि को वेलफेयर सोसाईटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

16.00 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटि को मान्य होगा।

16.10 सर्विस टैक्स अदा करने का दायित्व आवंटि का होगा।

**उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ**



पंजीकरण दिनांक 04-04-2015 से 05-05-2015 तक, शताब्दीनगर, सेक्टर-4 में स्थित 'समाजवादी' योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले 10 मंजिला फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु विवरण तालिका

कोड	श्रेणी	फ्लैट्स की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फिट में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	पंजीकरण धनराशि 10% (रुपये में)	आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (रुपये में)	शेष देय धनराशि की किश्तों का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
734	1 बी0एच0के0	400	52	538	15.15	1.52	0.76	शेष धनराशि बिना ब्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किश्तों में।
735	2 बी0एच0के0 टाईप बी	300	70	753	20.40	2.04	1.02	
736	2 बी0एच0के0 टाईप ए	100	80	861	23.30	2.33	1.77	

- आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर फ्लैट का मूल्य का 10 प्रतिशत आवंटन धनराशि जमा करनी होगी।
- उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ अनुमानित आधार पर हैं, जो परिवर्तनीय हैं। फ्लैट्स की संख्या एवं क्षेत्रफल व कीमत में परिवर्तन हो सकता है।
- फ्लैट पूर्ण होने पर वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। फ्लैट के वार्षिक मूल्यांकन के उपरान्त अन्तिम मूल्य से आवंटनी को अवगत कराया जायेगा।
- तालिका में उल्लिखित पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हों, अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
- देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
- यदि आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का क्षेत्रफल, उपरोक्त स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कार्नर फ्लैट्स पर सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य / भूखण्ड के मूल्य का चार्जज 10 प्रतिशत पृथक से देय होंगे। किसी फ्लैट के साथ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रचलित नियमों के अनुसार मूल्य पृथक से देय होगा।
- तालिका में उल्लिखित फ्लैट के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण / आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- योजना से सम्बन्धित अन्य / विवरण जानकारी योजना प्रमारी से (दूरभाष सं० 01212648598) किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। फ्लैट्स का पंजीकरण किसी सम्पत्ति / तल विशेष के लिये मान्य नहीं होगा। सम्पत्तियों के पंजीकरण उपरान्त सभी तलों के फ्लैट्स का आवंटन एक साथ लाटरी ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। लाटरी ड्रा के सम्बन्ध में विज्ञापन पृथक से जारी किया जायेगा।



मेरठ विकास प्राधिकरण



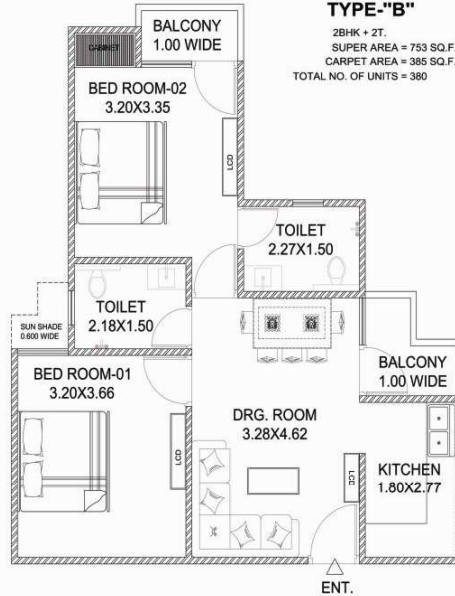
TYPE-"A"

2BHK + 2T. + STORE
SUPER AREA = 861 SQ.F.
CARPET AREA = 446 SQ.F.
TOTAL NO. OF UNITS = 240

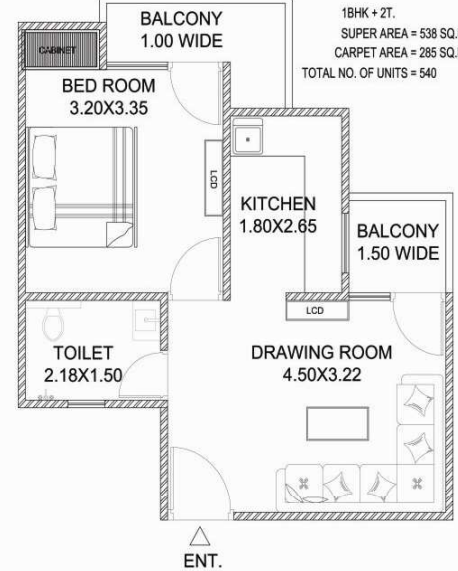


TYPE-"B"

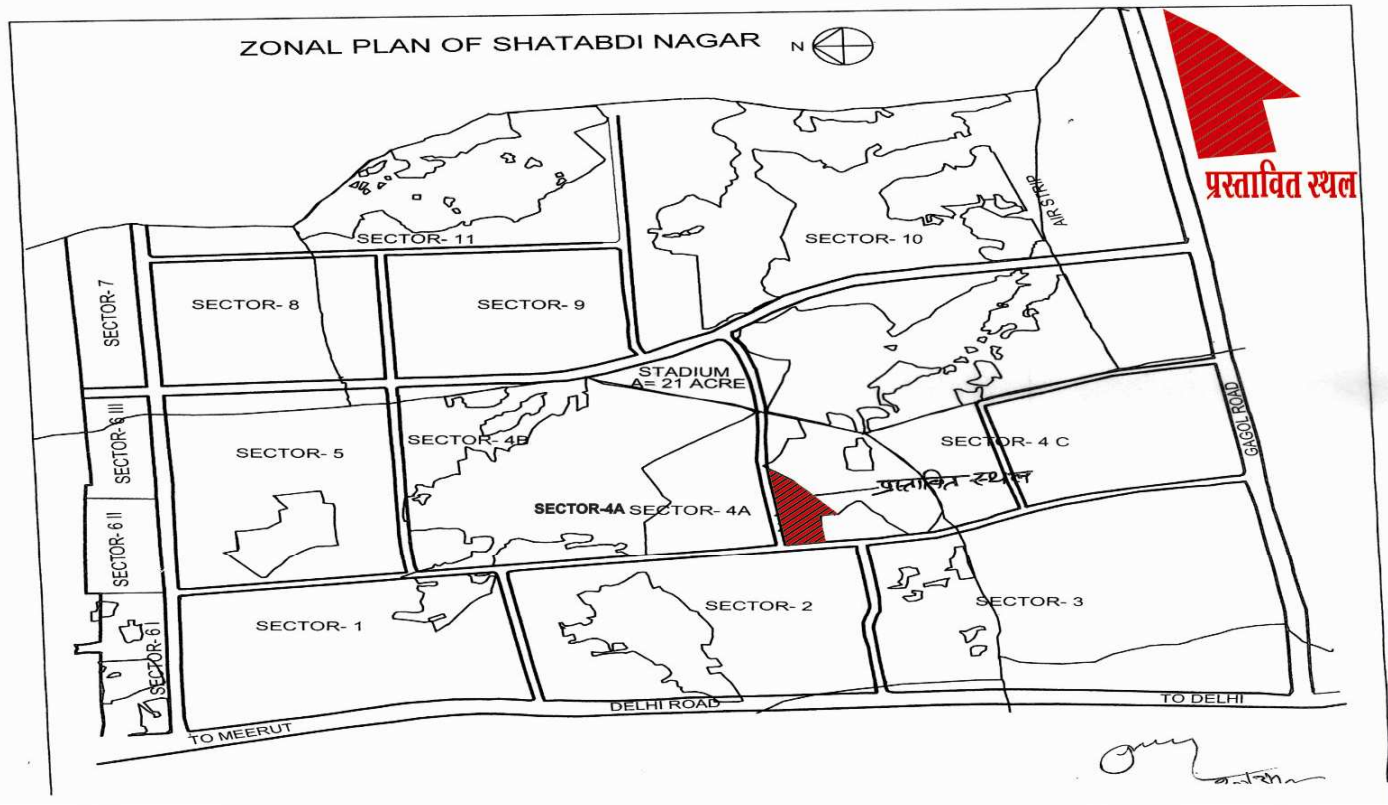
2BHK + 2T.
SUPER AREA = 753 SQ.F.
CARPET AREA = 385 SQ.F.
TOTAL NO. OF UNITS = 360



1BHK + 2T.
SUPER AREA = 538 SQ.F.
CARPET AREA = 285 SQ.F.
TOTAL NO. OF UNITS = 540



उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी योजना के अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर 4 में स्व-वित्त पोषित योजना-तन्तर्गत स्टिल्ट+10 मंजिले प्लेट्स की योजना की पंजीकरण पुस्तिका





मेरठ विकास प्राधिकरण



(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रुपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथ पत्र

समक्ष:- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

यह कि मेरा नाम पुत्र/पुत्री/ हैं तथा का निवासी हूँ, तथा

मेरी आयु लगभग वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँ:-

- 1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।
- 2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् मुझ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3 यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इन्फ्रामेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये हैं तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक :

प्रमाणित स्थान-

हस्ताक्षर शपथकर्ता।



आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त

1. आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।
 2. आवेदक (य) द्वारा आवेदन पत्र में कोड आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तराष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नं० को ही अभिलेखों में लिया जायेगा।
 3. इन आवेदन पत्रों को एक कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जायेगा। अतः इन फार्मों को केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
 4. अक्षरों/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
 5. आवंटि द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र संख्या, योजना कोड एवं सम्पत्ति कोड अवश्य लिखना चाहिए। जब तक आवेदक को सम्पत्ति कोड नहीं मिलता है फार्म की क्रम संख्या लिखी जा सकती है।
 - 6.00 डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना मेरठ विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।
 - 7.00 आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्याँरा नीचे दिया गया है।
 - 7.01 **मद-2 : योजना का नाम** : कृपया योजना का नाम तथा कोड भरे।
 - 7.02 **सम्पत्ति श्रेणी** : कृपया सम्पत्ति श्रेणी तथा कोड भरे एवं क्षेत्रफल भरे।
 - 7.30 **सम्पत्ति विवरण** : कृपया सम्पत्ति विवरण तथा कोड भरे।
 - 7.40 **भुगतान योजना** : कृपया योजना तथा कोड भरे।
 - 7.50 **सेलुशन** : कृपया सेलुशन तथा कोड भरे।
 - 7.60 **नाम, पता एवं पिनकोड** : ये स्वयं सुस्पष्ट हों।
 - 7.05 **आयु** : इस मद में आयु वर्षों में लिखें उदाहरणार्थ 32 वर्ष। (किसी एक वर्ष का कोई अंश न लिखा जाए)
 - 7.06 **लिंग** : इस मद में कोड तालिका से देखकर कोड भरें।
 - 7.07 **वैवाहिक स्थिति** : इस मद में नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो कोड तालिका से देखकर ध्यानपूर्वक भरें।
 - 7.08 **कोटा कोड** : जैसा कि अनुच्छेद 7.00 में विवरण दिया गया है जिसके अनुसार आवेदकों को आरक्षण सुविधा दी गई है। कृपया अपनी आरक्षित श्रेणी का कोटा कोड नम्बर लिखें। यदि आप एक से अधिक आरक्षित वर्ग में आते हैं तो केवल वही कोड लिखें जिसमें आप रहना चाहते हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है, कोटा के विरुद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण पत्र सलन करें। अन्यथा आपका आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी में समझा जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कोड के स्थान पर 15 कोड भरना चाहिए।
(ख) आरक्षण श्रेणी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र सलन करना होगा।
 - 7.09 **व्यवसाय कोड** : यह कोड तालिका से भरें।
 - 7.10 **भुगतान योजना कोड** : भुगतान योजना कोड में किस्तों में भुगतान हेतु कोड भरें।
 - 7.11 **आय कोड** : आवेदन हेतु कोई आय सीमा नहीं है।
 - 8.00 **आवेदक के हस्ताक्षर** : ये स्वयं सुस्पष्ट हों। बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
 - 9.00 योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पता परिवर्तन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- नोट : सभी प्रकार के कोड, कोड तालिका से ध्यानपूर्वक देखकर भरें। कृपया आवेदन फार्म में सम्पत्ति कोड स्पष्ट अंकों में भरें।

कोड तालिका

योजना कोड	सम्पत्ति विवरण	भुगतान कोड
15 समाजवादी योजना सै०-4, शताब्दी नगर	12 फ्लैट	01 किस्तों में 02 नगद
सम्पत्ति कोड		सेलुएशन कोड
734 1 बी०एच०के०		01 श्री
735 2 बी०एच०के० टाईप बी		02 श्रीमती
736 2 बी०एच०के० टाईप ए		03 कुमारी
		04 संयुक्त
व्यवसाय कोड		लिंग कोड
01 वकील	07 गृहणी	01 पुरुष
02 व्यवसायिक	08 अर्ध सरकारी	02 स्त्री
03 डॉक्टर	09 कर्मचारी	वैवाहिक स्तर
04 इन्जीनियर	09 विद्यार्थी	01 वैवाहिक
05 किसान	10 अन्य	02 अविवाहित
06 सरकारी कर्मचारी		03 विधवा
		04 अन्य
		पिता/पति कोड
		01 पिता
		02 पति

विवरण पुस्तिका का मूल्य रु. 500/- मात्र

आपकी लोन की तलाश यहां खत्म होती है!



अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रतिनिधी से संपर्क करें !

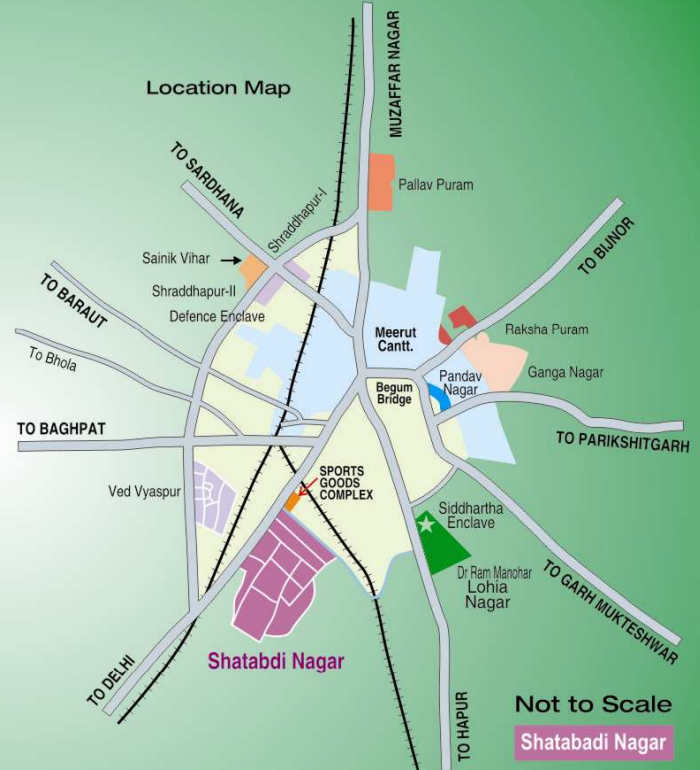


WITH YOU, RIGHT THROUGH



एच डी एफ सी बैंक

हम समझें आपकी दुनिया



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ — 250001 (उत्तर प्रदेश)

वेबसाइट : www.mdameerut.org.in

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

MEERUT (U.P.) 250001

उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी योजना के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की शताब्दीनगर
आवासीय योजना के सेक्टर 4 में सव:वित्त पोषित योजनान्तर्गत स्टिल्टरु मंजिले फ्लैटस् की योजना
में विभिन्न श्रेणी के फ्लैटों हेतु लाटरी पद्धति द्वारा आवेदन पत्र

Application for Registration

पंजीकरण दिनांक 04.04.2015 से 05.05.2015

राजपत्रित अधिकारी
या नोटरी पब्लिक द्वारा
सत्यापित फोटो
चिपकाए

आवेदन पत्र सं०

Form No.

योजना का नाम

Scheme Name

फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)

Flat Area (in SqMtr)

सम्पत्ति

Property Category

सम्पत्ति विवरण

Property Description

भुगतान योजना

Payment Plan

नाम (हिन्दी में)

Name (In Block Letters)

पिता/पति का नाम

Father's/Husband's Name

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence

Code

Code

Code

Code

Saluation
CodeSaluation
Codeजिला
Districtराज्य
Stateपिन
Pinदूरभाष सं०
Telephone No.

मोबाइल

ईमेल

Mobile

E-mail

कोटा कोड

Quota Code

लिंग कोड

Sex Code

वैवाहिक स्तर कोड

Marital Status Code

व्यवसाय कोड

Occupation Code

विकलांग (हॉ/ना)

Handicapped(Y/N)

वरिष्ठ नागरिक(हॉ/ना)

Senior Citizen(Y/N)

उम्र

Age

स्थायी पता

Permanent Address

पूर्व में सर्वे डिमाण्ड में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र जमा किया था आवेदन पत्र संख्या.....

क्या आपको मेरठ विकास प्राधिकरण ने कोई सम्पत्ति आवंटित की है ?

MDA reserved/alloted some property to you ?

आवेदक का बैंक खाता सं०

Applicant's Bank A/C No.

बैंक का नाम

Bank Name

बैंक का ब्रांच कोड

Bank Branch Code

बैंक का IFC कोड

संलग्नक (यदि कोई हो)

Enclosure (if any)

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/ BLOCK LETTERS

मेरठ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण दिनांक 04.04.2015 से 05.05.2015

Property Section Copy

चालान फार्म सं०

Challan Form No.

आवेदन पत्र सं०

Form No.

योजना का नाम

Scheme Name

Code

फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)

Flat Area (in SqMtr)

सम्पत्ति

Property Category

Code

सम्पत्ति विवरण

Property Description

Code

भुगतान योजना

Payment Plan

Code

कोटा कोड

Quota Code

व्यवसाय कोड

Occupation Code

नाम

Name(In Block Letters)

Saluation

Code

पिता/पति का नाम

Father's/Husband's Name

Saluation

Code

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence

जिला
District

राज्य
State

पिन
Pin

दूरभाष
Telephone No.

मोबाइल
Mobile

आवेदक के बैंक का खाता सं०

Applicant's Bank A/C No.

बैंक का नाम

Bank Name

बैंक ब्रान्च कोड

Bank Branch Code

जमा की गई धनराशि

Amt. Deposited Rs.

पेआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट सं०

Pay Order/ Demand Draft No.

दिनांक

Date

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

Received a sum of Rs.

On behalf of Vice -Chairman, Meerut Development Authority,
Meerut vide DD/PO No.

Dated

Drawn on

Date of Receipt

D D M M Y Y Y Y

Seal

Signature of the Bank

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/ BLOCK LETTERS

मेरठ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण दिनांक 04.04.2015 से 05.05.2015

Accounts Section Copy

चालान फार्म सं०

Challan Form No.

आवेदन पत्र सं०

Form No.

योजना का नाम

Scheme Name

Code

फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)

Flat Area (in SqMtr)

सम्पत्ति

Property Category

Code

सम्पत्ति विवरण

Property Description

Code

भुगतान योजना

Payment Plan

Code

कोटा कोड

Quota Code

व्यवसाय कोड

Occupation Code

नाम

Name(In Block Letters)

Saluation

Code

पिता/पति का नाम

Father's/Husband's Name

Saluation

Code

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence

जिला
District

राज्य
State

पिन
Pin

दूरभाष
Telephone No.

मोबाइल
Mobile

आवेदक के बैंक का खाता सं०

Applicant's Bank A/C No.

बैंक का नाम

Bank Name

बैंक ब्रान्च कोड

Bank Branch Code

जमा की गई धनराशि

Amt. Deposited Rs.

पेआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट सं०

Pay Order/ Demand Draft No.

दिनांक

Date

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

Received a sum of Rs.

On behalf of Vice -Chairman, Meerut Development Authority,
Meerut vide DD/PO No.

Dated

Drawn on

Date of Receipt

D D M M Y Y Y Y

Seal

Signature of the Bank

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/ BLOCK LETTERS

मेरठ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण दिनांक 04.04.2015 से 05.05.2015

Bank Copy

चालान फार्म सं० आवेदन पत्र सं०
Challan Form No. Form No.

योजना का नाम Code

फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
Flat Area (in SqMtr) Code

सम्पत्ति श्रेणी Code

सम्पत्ति विवरण Code

भुगतान योजना Code

कोटा कोड व्यवसाय कोड

नाम
Name(In Bolck Letters)
Saluation Code

पिता/पति का नाम
Father's/Husband's Name
Saluation Code

पत्र व्यवहार का पता
Address for Correspondence
.....

जिला
District
राज्य
State
पिन
Pin
दूरभाष
Telephone No.
मोबाइल
Mobile

आवेदक के बैंक का खाता सं०
Applicant's Bank A/C No.
.....

बैंक का नाम
Bank Name
बैंक ब्रान्च कोड

जमा की गई धनराशि
Amt. Deposited Rs.
पेआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट सं०
Pay Order/ Demand Draft No.

दिनांक
Date
आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

Received a sum of Rs.

On behalf of Vice -Chairman, Meerut Development Authority,
Meerut vide DD/PO No.

Dated Drawn on

Date of Receipt
.....

Seal
Signature of the Bank

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/ BLOCK LETTERS

मेरठ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण दिनांक 04.04.2015 से 05.05.2015

Applicant Copy

चालान फार्म सं० आवेदन पत्र सं०
Challan Form No. Form No.

योजना का नाम Code

फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
Flat Area (in SqMtr) Code

सम्पत्ति श्रेणी Code

सम्पत्ति विवरण Code

भुगतान योजना Code

कोटा कोड व्यवसाय कोड

नाम
Name(In Bolck Letters)
Saluation Code

पिता/पति का नाम
Father's/Husband's Name
Saluation Code

पत्र व्यवहार का पता
Address for Correspondence
.....

जिला
District
राज्य
State
पिन
Pin
दूरभाष
Telephone No.
मोबाइल
Mobile

आवेदक के बैंक का खाता सं०
Applicant's Bank A/C No.
.....

बैंक का नाम
Bank Name
बैंक ब्रान्च कोड

जमा की गई धनराशि
Amt. Deposited Rs.
पेआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट सं०
Pay Order/ Demand Draft No.

दिनांक
Date
आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

Received a sum of Rs.

On behalf of Vice -Chairman, Meerut Development Authority,
Meerut vide DD/PO No.

Dated Drawn on

Date of Receipt
.....

Seal
Signature of the Bank

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/ BLOCK LETTERS

घोषणा DECLARATION

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मेरठ विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है एवं मैं/हम उनका पालन करूंगा/करेंगे।
2. यदि मैं/हम बिक्री के लिए फ्लैट का आवंटन स्वीकार नहीं करता हूँ/करते हैं तब मैं/हम मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूंगा/करेंगे।
3. मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया फ्लैट मुझे/हमें प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद नहीं होगा।
4. मैं सहमत हूँ कि मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने का क्षेत्राधिकार मेरठ न्यायालय का होगा एवं अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के इकरारनामे के अनुसार मान्य नहीं होगा।
1. I/We declare that I/We have read the rules of the Meerut Development Authority, Meerut regarding the above scheme and shall abide by them.
2. If I/We do not accept the allotment of the flat for sale, then I/We shall accept the forfeiture/deductions made by M.D.A. under the rules.
3. The flat allotted to me by M.D.A. shall be acceptable to me/us under any circumstances on "as is where is basis" and I/We shall have no objection or dispute of any kind.
4. I/We agree that in case of dispute if any between M.D.A. and the applicant, the Meerut Court will have exclusive jurisdiction and the jurisdiction of all other courts will be debarred by the contract with M.D.A.

Date :

Place : आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of the applicant

नमूना हस्ताक्षर SPECIMEN SIGNATURE(S)

Name नाम _____

Sole or First Applicant
(एकल अथवा प्रथम आवेदक)

Signature हस्ताक्षर 1. _____ 2. _____

For Office Use Only RESERVATION

Applicant successful in draw held on _____

One plot reserved

Signature of the Incharge

Allottee Code :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALLOTMENT

Applicant has been allotted plot No. _____

Property Code :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- नोट : 1. कृपया आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरें, चूंकि ये फार्म कम्प्यूटर द्वारा प्रोसेस किये जायेंगे। यदि आपने फार्म हिन्दी में भरा हो तो उसका अनुवाद करते समय हुई भूल के लिए मे. वि. प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा।
2. कृपया चालान फार्म में ड्राफ्ट नं० तथा बैंक का पूरा नाम अवश्य भरें।
3. आवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों को चिपकाने का कष्ट करें। इससे आपके संलग्नक फार्म से अलग नहीं होंगे।